

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

संख्या-1जी/ई०मु०स्था०(लोक शिकायत)-60-05/2015-2386/बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा-3 में निहित प्रावधानों के अधीन श्री मोहन राम (भा०प्र०से०), संयुक्त सचिव को अपने कार्यों के अतिरिक्त अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के लिये प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1जी/ई०मु०स्था०(लोक शिकायत)-60-05/2015-2386 पटना, दिनांक-2.9.16
प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-


सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1जी/ई०मु०स्था०(लोक शिकायत)-60-05/2015-2386 पटना, दिनांक-2.9.16
प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/महानिदेशक, बिपार्ड/राज्य अभिलेखाकार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारियों/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/टी०सी०एस० कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-1जी/ई०मु०स्था०(लोक शिकायत)-60-05/2015-2386 पटना, दिनांक-2.9.16
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/उप निदेशक (मुख्यालय)/सहायक निदेशक (मु०)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/श्री मोहन राम (भा०प्र०से०), संयुक्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव